निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1940 (श0)
(सं0 पटना 153) पटना, वृहस्पतिवार, 31 जनवरी 2019

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

31 जनवरी 2019

एस० ओ० 25, दिनांक 31 जनवरी 2019— बिहार **माल और सेवा कर अधिनियम**, **2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**, बिहार के राज्यपाल **परिषद की सिफारिशों पर**, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 564 दिनांक 29 **जून**, **2017** द्वारा प्रकाशित वाणिज्य–कर विभाग की **अधिसूचना सं0** एस.ओ. **105** दिनांक 29 **जून**, **2017**, **का निम्नलिखित और संशोधन** करते हैं, यथा–

उक्त अधिसूचना में, शब्दों "निम्नलिखित की दर पर संगणित रकम" से प्रारंभ होने वाले और "अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "बिहार **माल और सेवा कर अधिनियम**, **2017 के नियम 7 में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।**

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[(सं० बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–5) 401)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

31 जनवरी 2019

एस० ओ० 25, दिनांक 31 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 401)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 31st January 2019

S.O. 25, Dated 31st January 2019— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No. S.O.-105, dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 564, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, for the portion beginning with the words "an amount calculated at the rate of" and ending with the words "half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods in State in case of other suppliers", the words and figures, "an amount of tax calculated at the rate specified in rule 7 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017:" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5)401)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 153-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in